



2026:AHC:15963

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 19646 वर्ष 2025

रवींद्र कुमार अस्थाना

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : नीरज कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : आशीष मिश्रा

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार पांडे, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री चंदन शर्मा और श्री राहुल मालवीय की बात सुनी।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री चंदन शर्मा ने कहा है कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम हैं। वे कोई प्रतिवाद दाखिल नहीं करना चाहते और निवेदन करते हैं कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उनकी नियुक्ति 2 जुलाई 1975 को क्लर्क के पद पर हुई थी और 30 नवंबर 2012 को वे सेवानिवृत्त हो गए। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके विरुद्ध दो जांचें की गईं, एक 1984 में और दूसरी 1988 में। 22 मार्च 2013 को पेंशन का 20% वसूलने का आदेश पारित किया गया और 3 अप्रैल 2013 को पेंशन में 20% की कटौती का आदेश पारित किया गया। दोनों आदेशों के विरुद्ध प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष अपील की गई। अपीलों क्रमशः 27 फरवरी 2015 और 18 मार्च 2015 को स्वीकार कर ली गईं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें उनके पद और अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री चंदन शर्मा ने प्रस्तुत किया कि प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा पारित अपीलीय आदेश इस तथ्य पर आधारित थे कि बाद सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई जांच नहीं की जा सकती और इस स्थिति में केवल सिविल सेवा विनियम का अनुच्छेद 351(ए) ही लागू होगा। इस संबंध में प्रकरण स्वीकृति हेतु उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष है। उन्होंने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय छह सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा।

6. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिपक्षी संख्या 4 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिपक्षी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

22 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)